बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 199856 पटना, दिनांक 05/09/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(NLM)-102-41/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
उप विकास आयुक्त,
अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, दरभंगा, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, लखीसराय, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, सुपौल एवं वैशाली ।

विषय :- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के NLM के द्वारा इंदिरा आवास योजना (विशेष पैकेज) के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं से संबंधित Action Taken Report के संबंध में

प्रसंग :- विभागीय ज्ञाप संख्या-168606 दिनांक-14.11.13, पत्रांक-169713 दिनांक-29.11.13, पत्रांक-185390 दिनांक-16.05.14 एवं पत्रांक-187705 दिनांक-09.06.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा विषयांकित मामले से संबंधित भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त NLM के प्रतिवेदन में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में Action Taken Report भेजने के निमित्त बिन्दुवार अपेक्षित सूचना का ब्यौरा प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया था कि वांछित प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2014 तक विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ताकि विभाग स्तर से जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित करते हुए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किया जा सके ।

यद्दपि कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 में प्रथम एवं द्वितीय किस्त केन्द्रांश की निधि की विमुक्ति के क्रम में NLM से संबंधित Action Taken Report को आवश्यक बनाया गया था, किन्तु जिलों से उक्त प्रतिवेदन के प्राप्त होने में विलम्ब की स्थिति तथा निधि विमुक्ति नहीं होने से निधि के अभाव में जिलों में योजना के कार्यान्वयन प्रभावित होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विभाग स्तर से इसके लिए भारत सरकार से समय की मांग की गई थी । किन्तु काफी समय बीत जाने के बाद भी आपके जिला से अबतक उक्त प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

अत: अनुरोध है कि विषय की महत्ता एवं गंभीरता को देखते हुए विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित NLM के प्रतिवेदन से संबंधित बिन्दुवार Action Taken Report दिनांक 18.09.2014 तक प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सचिव । 4/9/14